राजस्व आदेश अनुवृत्ति– पत्र

रा.प्र.क्र. 202501092100007 अ/62 वर्ष 2024–25

	2	3
12/03/2025	1. प्रकरण पेश। 2. आवेदक अनुपस्थित। 3. प्रकरण का अवलोकन किया गया । 4. आवेदक द्वारा ग्राम खोलारघाट प.ह.नं. 26 तहसील डोंगरगढ़ स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 21/4 रकबा 1.125 हे. भूमि में से सागौन के 08, एंव बीजा के 02 कुल 10 नग वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पेश किया है। 5. प्रकरण में राजस्व विभाग एवं वन विभाग से संयुक्त स्थल पंचनामा एवं प्रतिवेदन लिया गया। 6. संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण पंचनामा में लेख किया है कि आवेदित भूमि वन विभाग की भूमि से लगी है, एवं अत्यंत समीप से पी.एफ. लाईन गई हुई है। 7. चूंकी आवेदित भूमि वन विभाग की भूमि से लगी हुई है एवं पी.एफ. लाईन अत्यंत समीप से गई है जिससे अवैध कटाई होने की प्रबल संभावना है। अतः वृक्ष कटाई की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक रसमीत कौर भाटिया द्वारा ग्राम खोलारघाट प.ह.नं. 26 स्थित भमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 21/4 क्षेत्रफल 1.125 हे. भूमि में से प्रकृतिक रूप से उगे सागौन एवं बीजा वृक्ष की कटाई की अनुमति बाबत्। प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है। 8. अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफतर हो। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़	

Scanned with OKEN Scanner